F-32/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेडा तहसील बनेड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर

(आर.ए.एस.)

2017/00440

प्रकरण संख्या 29/2017

अनवान

1 राधेश्याम पिता श्रीराम ढोली निवासी दौलतपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.... वादी

बनाम

1 कंकु पत्नि श्रीराम ढोली निवासी दौलतपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील वादी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 30.06.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का क्षैत्र बबराणा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 155 के आराजी संख्या 531, 536, 537 कुल किता 03 कुल रकबा 06–02 बीघा भूमि वादी तथा प्रतिवादीया के पति श्रीराम ढोली के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही थी। किन्तु श्रीराम ढोली की मृत्यूपरान्त उनके वारिसान राधेश्याम मांगी जस्सु कंकु ढोली के नाम नारान्तकरण खोला गया जिसमें वादी के पिता एंव प्रतिवादीया के पति का नाम श्रीराम ढोली के स्थान पर श्री किशन ढोली दर्ज कर दिया गया। जबकी वादग्रस्त आराजीयात पैत्रक होकर दादा के जीवन काल से ही काबिज है एव वर्तमान में वादी उक्त आराजीयात पर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। अतः वादीगण के पिता का नाम श्रीराम ढोली के स्थान पर श्री किशन ढोली राजस्व रेकार्ड में हुए त्रूटीपूर्ण अंकन को दुरूस्त किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावें।

2. प्रकरण को दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प शिविर बनेडा में नया प्राप्त कर दर्ज रजिस्टर किया। शिविर के दौरान ही दिनांक 30.06.2017 को वादी राधेश्याम पिता श्रीराम ढोली व प्रतिवादीया कंकु पत्नि श्रीराम ढोली निवासी दौलतपुरा के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर वादपत्र स्वीकार किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की।

3. उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, एंव कलमबद्ध बयानो एवं वादपत्र का अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादी द्वारा वादपत्र के साथ आधारकार्ड, राशनकार्ड आदि रेकार्ड, से यह प्रमाणित होता है कि वादीगण के पिता का नाम श्रीराम ढोली है। लिहाजा वादी का वाद पत्र मेरिट व परिक्षण से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

–::आदेश::–

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का क्षैत्र बबराणा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 155 के आराजी संख्या 531, 536, 537 कुल किता 03 कुल रकबा 06–02 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता व प्रतिवादीया के पति का नाम श्रीकिशन ढोली खातेदार के बजाय श्रीराम ढोली खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेडा तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 29 /2017

अनवान

1 राधेश्याम पिता श्रीराम ढोली निवासी दौलतपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.... वादी

बनाम

1 कंकु पत्नि श्रीराम ढोली निवासी दौलतपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील वादी**

दिनांक – 30.06.2017

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर अन्तर्गत धारा 88–89–90–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का क्षैत्र बबराणा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 155 के आराजी संख्या 531, 536, 537 कुल किता 03 कुल रकबा 06–02 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता व प्रतिवादीया के पति का नाम श्रीकिशन ढोली खातेदार के बजाय श्रीराम ढोली खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

डिकी आज दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा

जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा